उपरान्त दिनांक 15.3.10 को वादी के बयान दर्ज किये गये एवं सरकार की और से दिनांक 9.6.10 को जवाब पेश किया गया।

यह कि दिनांक 8.4.15 को वादी का देहान्त हो जाने के कारण एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 का न्यायालय मे पेश किया जिसे स्वीकार किया गया एवं वादी के बजाए उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

यह कि वादी के बयान के बाद प्रकरण हाजा व वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के बाद बहस हेतु पेशी नीयत की गई एवं न्यायालय द्वारा न्याय हित मे दिनांक 26.3.15 को मोका रिपोर्ट बाबत तहसीलदार छोटीसादडी को लिखा गया जिस पर तहसीलदार छोटीसादडी द्वारा दिनांक 15.10.15 को मोका रिपोर्ट पेश की मोका रिपोर्ट पेश होने के बाद पुन बहस सुनी गई।

यह कि दोराने बहस वादी ने अपनी साक्ष्य मे पेश दस्तावेज को प्रदर्शित कराया जो प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 8 है वादी द्वारा साबिक आराजियात की पुरानी नकले मिलान क्षेत्रफल एवं प्रतिवादीगण की नकले एवं दस्तावेज साक्ष्य मे पेश किये वादी द्वारा साक्ष्य मे व दोराने बहस न्यायालय के समक्ष यह साबित किया कि प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 287 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 294 रकबा 0.94 हे. अंकित किये यानि की वादी का 0.04 हे. प्रतिवादीगण की आराजियात मे सम्मिलित कर दिया गया जो वादी पुन अपने नाम घोषित करा अकित कराने का अधिकारी है इसी प्रकार प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 286/1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 290 रकबा 0.54 हे. एवं आराजी नम्बर 291 रकबा 1.01 हे. अंकित किये इसमे भी वादी का 0.05 हे. रकबा प्रतिवादीगण की आराजियात मे सम्मिलित कर दिया गया जिसे वादी पुन अपने नाम घोषित करा राजस्व अभिलेख मे अंकित कराने का अधिकारी है एवं उसी अनुसार नवीन नक्शे मे भी तरमीम कराने का अधिकारी है।

यह कि वादी के द्वारा की गई दोराने बहस को मददेनजर रखते हुए एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेज जो साक्ष्य मे प्रदर्शित कराये है प्रदर्श 1 से लगाकर 8 तक को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी का कमी रकबा 0.09 हे. प्रतिवादीगण की आराजियात मे सम्मिलित होना दस्तावेज के आधार पर स्पष्ट है ऐसी सुरत मे वादी अपना कमी रकबा साबिक आराजियात के अनुसार 0.09 हे. आराजी नम्बर 294 मे से 0.04 हे. एवं आराजी नम्बर 290 एवं 291 मे से 0.05 हे. पाने का अधिकारी है एवं वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाके मोजा बरकटी के नवीन आराजी नम्बर 294 रकबा 0.94 हे मे से वादी के नाम 0.04 हे. एवं आराजी नम्बर 290 एवं 291 मे से 0.05 हे. यानि कुलिया रकबा 0.09 हे. प्रतिवादीगण की आराजियात मे से कमी की जाकर वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख मे वादी अपने नाम अंकित कराने का अधिकारी है एवं इसी अनुसार नक्शे मे भी तरमीम कराने का अधिकारी है वादी का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.
पीठासीन अधिकारी– दिनेशकुमार मण्डोवरा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

प्र. स. 1210/09

दोलतराम पिता शंकरलाल जी जाति तेली उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी मृतक के बजाए–
1—- गोपाललाल पिता दोलतराम जी जाति तेली निवासी गोमाना
2—- नर्मदाबाई पुत्री दोलतराम जी जाति तेली निवासी गोमाना
3—-हुलासीबाई पत्नि दोलतराम जी जाति तेली निवासी गोमाना
4—-राधेश्याम पिता दोलतराम जी जाति तेली निवासी गोमाना

...... वादी

बनाम

1 श्री नन्दलाल पिता किशना जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
2 घीसालाल पिता सवराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
3 गोरीशंकर पिता सवराम जी जाति कुल्मी उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
4 सुरेश पिता हरिराम जी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
5 काना पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
6 माना पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
7 चतुर्भज पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी
8 मांगीलाल पिता खेमा जी जाति भील उम्र वयस्क निवासी गोमाना तह. छोटीसादडी

... प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित– बाबुलाल पालीवाल अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण की तरफ से एकतरफा

निर्णय

दिनांक 5/12/17

सक्षिंप्त मे वाद पत्र का वर्णन इस प्रकार है कि वाके मोजा बरकटी तह. छोटीसादडी मे आराजी नम्बर 285 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 274/1 रकबा 15 बिस्वा उक्त साबिक आराजी नम्बर वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादी काबिज हो काश्त कर रहा था दोराने पेमाईश उक्त वर्णित आराजियात के नवीन आराजी नम्बर 292 रकबा 0.63 हे. अंकित किया गया जबकि वादी का आराजियात का कुल रकबा 0.82 हे. अंकित होना न्यायोचित था वादी का 0.09 हे. रकबा प्रतिवादीगण की आराजियात मे सम्मिलित कर दिया गया जिस कारण वादी ने ... ... वर्णित धारा के अधीन पेश किया। वादी का आराजियात